भारतीय तेल निगम लिमिटेड

बनाम

मीना कुमारी और अन्य

1 मई, 2007

[एस. बी. सिन्हा और मार्कंडेय काटजू, जे. जे.]

भारत का संविधान, 1950; अनुच्छेद 226:

रिट याचिका- अपीलार्थी को निर्देश देने के लिए मैंडमस रिट- अपीलार्थी निगम आवासीय आवश्यकता के आधार पर अन्य आवेदक की तुलना में प्रत्यर्थी को वरीयता के साथ पेट्रोल पंप के लिए लाइसेंस प्रदान करे- अभिनिर्धारितः उच्च न्यायालय ने सही निर्देश दिया कि है निगम सुसंगत विषयवस्तु पर बनी नीति में उल्लिखित दिशा निर्देशों के अनुसार आवासीय आवश्यकता के आधार पर अन्य आवेदक की तुलना में प्रत्यर्थी सं. 1 को वरीयता के साथ पेट्रोल पंप के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करे।

रिट याचिकाकर्ता गाँव झींझक, जिला कानपुर देहात की निवासी है और एक युद्ध विधवा है। दूसरी ओर, इस अपील में प्रत्यर्थी संख्या 2, फर्रुखाबाद जिले की निवासी है तथा वह भी एक पूर्व सैन्यकर्मी की युद्ध विधवा है। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने उच्च न्यायालय में आक्षेपित रिट याचिका दायर कर परमादेश की रिट के जरिए अपीलकर्ता-इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को निर्देश देने का अनुरोध किया कि वह उसे

अधिसूचना दिनांक 30.12.1977 के अनुसरण में खुदरा खुदरा दुकान/पेट्रोल पंप के लिए लाइसेंस प्रदान करे, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। अतः वर्तमान अपील खारिज करते हुए कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया-

1.1. अपीलार्थी निगम की विक्रेताओं/वितरकों के चयन हेतु निर्धारित नीति के दिशानिर्देशों में से एक शर्त यह थी कि विक्रेताओं/वितरकों के चयन में उस उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी जो उस जिले से संबंधित है जिसमें प्रस्तावित विक्रेता/वितरण का विज्ञापन किया जाता है। [पैरा 5] [1059-ई]

1.2. इस मामले के तथ्य और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय सही था जिसने यह निर्देश दिया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 को वरीयता देकर पेट्रोल पंप के लिए लाइसेंस दिया जाना चाहिए क्योंकि वह कानपुर देहात की निवासी है, जिसके लिए डीलरशिप दी जा रही थी, इसलिए उसे वरीयता दी गई। [पैरा 6] [1059-एफ]

सिविल अपीलीय अधिकारिताः सिविल अपील सं. 7215 सन् 2000

सिविल मिस्लेनियस याचिका संख्या 40236 सन् 1999 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 14.09.2000 से।

अपीलार्थी की और से एच. के. पुरी।

प्रत्यर्थीगण की और से दिनेश द्विवेदी, (के. एल. मेहता एंड कंपनी के लिए)।

न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया-

मार्कंडेय काटजू, जे.

1. यह अपील सिविल मिस्लेनियस याचिका संख्या 40236 सन् 1999 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 14.09.2000 के खिलाफ दाखिल की गयी है।

2. पक्षों की ओर से विद्वान् अधिवक्ताओ को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3. प्रत्यर्थी संख्या 1, श्रीमती मीना कुमारी ने उच्च न्यायालय में विवादित रिट याचिका दायर कर मैंडमस रिट के जरिए अधिसूचना दिनांकित 30.12.1977 के अनुसरण में कानपुर देहात जिले के गाँव झींझक में खुदरा दुकान/पेट्रोल पंप के लिए लाइसेंस उसे देने का निर्देश अपीलकर्ता, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को देने के लिए अनुरोध किया है।

4. रिट याचिकाकर्ता कानपुर देहात जिले के गाँव झींझक की निवासी है और एक युद्ध विधवा है जिसके पति एक सैन्यकर्मी थे जो 1971 के युद्ध के दौरान मारे गए थे। दूसरी ओर, इस अपील में प्रत्यर्थी संख्या 2, श्रीमती आशा देवी भी एक पूर्व सैन्यकर्मी की युद्ध विधवा है और फर्रुखाबाद जिले की निवासी है।

5. अपीलार्थी भारतीय तेल निगम की विक्रेताओं/वितरकों के चयन हेतु 1977 की नीति के दिशानिर्देशों अनुसार विक्रेताओं/वितरकों के चयन की एक शर्त यह थी कि

विक्रेताओं/वितरकों के चयन में उस उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी जो उस जिले से संबंधित है जिसमें प्रस्तावित विक्रेता/वितरण का विज्ञापन किया गया है।

6. इन परिस्थितियों में, हमारी राय है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 श्रीमती मीना कुमारी को वरीयता देकर पेट्रोल पंप के लिए लाइसेंस प्रदान किए जाने संबंधी उच्च न्यायालय का निर्देश सही था क्योंकि वह कानपुर देहात की निवासी है, जिसके लिए डीलरशिप दी जा रही थी, इसलिए उसे वरीयता दी गई।

7. ऊपर दिए गए कारणों से, हम इस अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। तदनुसार अपील खारिज की जाती है। कोई खर्चा अधिरोपित नहीं।

एस.के.एस. अपील खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अमरजीत सिंह (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।